

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश
(संख्या /2026-27)

प्रेषक,

सुशील कुमार,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-.....

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2026-27 में "सक्षम ऑगनबाड़ी एवं पोषण 2.0" के अन्तर्गत राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना के संचालन हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से विभिन्न शीर्षों में उपबंधित राशि रू० 1239.32 लाख (बारह करोड उनचालीस लाख बत्तीस हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग के संकल्प ज्ञापांक-1062 दिनांक 07.03.23 से "सक्षम ऑगनबाड़ी एवं पोषण 2.0" योजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गई है तथा ज्ञापांक-5724 दिनांक 27.11.2017 द्वारा राज्य में बच्चों, किशोरियों, महिलाओं, धातृ महिलाओं में कुपोषणता को दूर करने हेतु विभिन्न अवयवों के लिए समेकित बाल विकास छत्र योजना कार्यान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना के संचालन हेतु केन्द्रांश एवं समतुल्य राज्यांश के रूप प्राप्त कुल रू० 14587.87 लाख मात्र के व्यय की स्वीकृति विभागीय पत्रांक 40 दिनांक 15.04.2026 द्वारा प्रदान की गई है। विभिन्न शीर्षों में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के आलोक में राष्ट्रीय पोषाहार मिशन के विपत्र कोड में नये विषय शीर्षों के सृजन तथा उक्त विषय शीर्षों में बिहार आकस्मिकता निधि से प्राप्त रू० 00.02 लाख एवं पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राप्त कुल रू० 1239.30 लाख अर्थात् कुल 1239.32 लाख (बारह करोड उनचालीस लाख बत्तीस हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की जाती है -

(राशि लाख में)

क्र.	योजना का नाम	केन्द्रांश/ राज्यांश का अनुपात	PFMS Code	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	स्वीकृत राशि
1.	राष्ट्रीय पोषाहार मिशन- एन0एन0एम0	60:40	3975 (BR94)	(51-2235021020225)	0225.26.01	896.45
					0225.28.02	342.87
कुल - (रू. बारह करोड उनचालीस लाख बत्तीस हजार)						1239.32

2. केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए वित्त विभाग, बिहार, पटना के द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में प्रश्नगत योजना के राज्यांश मद की राशि को केन्द्रांश मद के अधीन विपत्र कोड में उपबंधित किया गया है।

3. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन हेतु आई.सी.डी.एस. निदेशालय (मुख्यालय) स्तर पर लेखा पदाधिकारी, आई.सी.डी.एस. निदेशालय, जिला स्तर पर सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं प्रखंड/परियोजना स्तर पर सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं।

4. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध CFMS में प्राप्त राशि के आधार पर ही आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश से राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक 12888/वि० दिनांक-03.12.2024, पत्रांक 410 दिनांक 12.06.2025 236/वि० दिनांक 09.03.2026, 2956/वि० दिनांक 25.03.2026, 314/वि० दिनांक 01.04.2026 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

6. स्वीकृत्यादेश पर संचिका संख्या-3/यो०-स०क०-34/2022 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या - 37 /टि० पर दिनांक- 09-06-2026 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

7. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो०-स०क०-34/2022 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या - 39 /टि० पर दिनांक- 11-06-2026 को अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।

8. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

ह०/-

(सुशील कुमार)

संयुक्त सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक- 3/यो०-स०क०-34/2022/...../दिनांक-

प्रतिलिपि - महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/संयुक्त सचिव, वित्त विभाग (बजट शाखा)/विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक आई.सी.डी.एस./सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस० निदेशालय/सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

संयुक्त सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक- 3/यो०-स०क०-34/2022/...../दिनांक-

प्रतिलिपि - कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

संयुक्त सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक- 3/यो०-स०क०-34/2022/...../दिनांक- 15.6.2026

प्रतिलिपि - विभागीय आई०टी० मैनेजर को सूचनार्थ एवं स्वीकृत्यादेश की प्रति को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,

समाज कल्याण विभाग।